UPKU010050162022

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–।, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित–**मदन मोहन, एच०जे०एस०–UP02725**

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**2575/2022**

हरेन्द्र गोसाई बउम्र 36 वर्ष पुत्र सीताराम गोसाई,
साकिन–सपहं ढाड़, थाना व जिला पश्चिमी चम्पारण, बिहार।

–––– प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

–––विपक्षी।

मु०अ०सं०–371/2022,
धारा–08/20 NDPS Act,
थाना–तरया सुजान,
जनपद–कुशीनगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र गोसाई की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। मैंने उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2– प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्द बरामदगी दिनांकित 27.06.2022 के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त व तीन अन्य अभियुक्तगण पप्पू राजभर, विश्वनाथ, धर्मेन्द्र कुशवाहा व कमलेश कुशवाहा के विरूद्ध दर्ज की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार को पुलिस पार्टी द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर माधवपुर बुजुर्ग टोल प्लाजा 200 मीटर पहले, थाना तरया सुजान में रोड के किनारे खड़े पाँच व्यक्तियों क्रमशः हरेन्द्र गोसाई, पप्पू राजभर, विश्वनाथ, धर्मेन्द्र कुशवाहा व कमलेश कुशवाहा को समय 05.20 AM बजे गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से कुल पाँच सफेद प्लास्टिक के थैलों में से क्रमशः 13 पैकेट में से 13 किग्रा, 10 पैकेट में से 10 किग्रा, 10 पैकेट में से 10 किग्रा, 10 पैकेट में से 10 किग्रा एवं 10 पैकेट में से 10 किग्रा अर्थात् कुल 53 किग्रा गांजा बरामद किये जाने का कथन है।

3– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2022 को गुण–दोष के आधार पर निरस्त किया गया था।

4– इस न्यायालय में लम्बित अन्य जमानत प्रार्थना पत्र 2536/2022, जो कि उपरोक्त मामले के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत

मुकदमा अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, में दाखिल क्रि०मि० बेल अ० नं० 39120/2022 में पारित आदेश दिनांकित 05.09.2022 के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

5– अतः उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर पोषणीय नहीं है।

6– यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उक्त जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2536/2022 दिनांक 07.10.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र 2575/2022 दिनांक 11.10.2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकृत होने के बावजूद दाखिल किया गया है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग के साथ–साथ न्यायालय के बहूमूल्य समय का भी दुरूपयोग है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र गोसाई द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के आधार पर खारिज किया जाता है।

दिनांकः**13.10.2022**

(मदन मोहन)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–।
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by MADAN MOHAN
Date: 2022.10.13 16:52:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court